न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-329 RAAJodhpur2022-125RTA223 Ranaram ors Vs Swaruparam etc

1. राणाराम पुत्र आईदानराम
2. माधाराम पुत्र आईदानराम

जातियान् नाई, निवासीगण- कृष्णानगर, कोलू पाबूजी, तहसील देचू, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. स्वरूपाराम पुत्र स्व. श्री केवलराम
2. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री केवलराम
3. पेपो पत्नी स्व. श्री केवलराम
4. भंवरलाल पुत्र आईदानराम

सभी जातियान् नाई, निवासीगण- कृष्णा नगर, कोलू पाबूजी, तहसील देचू, जिला जोधपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देचू, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ड्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा दिनांक 14 मार्च 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 652/2020 स्वरूपाराम व अन्य बनाम राणाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 13 सितंबर 2023

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 मार्च 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 652/2020 अनवान स्वरूपाराम व अन्य बनाम राणाराम इत्यादि के

13.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 जुलाई 2022 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने एक वाद खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम कृष्ण नगर की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 548 सहित अन्य भूमियों के संबंध में पेश किया जो बाद में वाद को संशोधित करवाकर वाद की विषय वस्तु खसरा नं. 548 को रखा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14 मार्च 2022 को निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को न तो सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया तथा न ही न्यायालय हस्तांतरण होने के बाद विधिवत नोटिस जारी कर सूचना दी गई, इसके बावजूद अपीलांट के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही बिना विधिवत तामील प्रक्रिया अपनाये की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद ही पोषणीय नही है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति एवं राजीनामा से वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा किया जा चुका है तथा वादीगण के जो जमीन कम पड़ रही थी जो 7 बिस्वा भूमि की में रजिस्ट्री करवाकर पूर्ण कर दी गई थी। इस प्रकार दोनो पक्षों के

13.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मध्य राजीनामा हो चुका था। वादीगण के पिता केवलराम द्वारा जीते जी राजीनामा पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की, लेकिन उनके फौते होने के बाद रेस्पोडेंट द्वारा नियत बदल जाने के कारण उक्त अपीलाधीन प्रकरण प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा खसरा नं. 548 के अलावा अन्य खसरान् के संबंध में वाद प्रत्यारोहण से स्पष्ट है कि राजीनामा दिनांक 10.04.2014 को हुआ था वह सही था। खसरा नं. 548 में वादीगण का जो हिस्सा आता था, वह हिस्सा उन्हे अन्य जगह मिल चुका था। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सद्भाविक नहीं है तथा वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आये। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द भी एकतरफा तैयार की गई तथा अपीलांट्स को सूचित नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हल्का पटवारी से खाते की चौसाले की नकल लेने से पता चला कि उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। तब अपीलाधीन निर्णय की नकल लेने पर प्रथम बार अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी से अपीलांट्स द्वारा अपील अदंर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14 मार्च 2022 को अपास्त व निरस्त किये जावे

13.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस में अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 548 में वादीगण/रेस्पो. का 2 बीघा से अधिक हिस्सा बनता है जो राजीनामा में उन्हें केवल 7 बिस्वा भूमि ही प्रदान की गई है, जबकि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो. का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि अपील किस आधार पर खारिज फरमायी जावे। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उन्हें समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद

13.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा का लेख्य पत्र दिनांक 31.03.2014 के अवलोकन मुताबिक वादीगण के पिता केवलराम पुत्र मुकनाराम एवं अपीलांट राणाराम, माधाराम एवं रेस्पोडेंट संख्या तीन भंवरलाल द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा निष्पादित कर खसरा नं. 548 में केवलराम के पक्ष में 7 बिस्वा भूमि की रजिस्ट्री अपीलांट राणाराम, माधाराम एवं रेस्पोडेंट संख्या तीन भंवरलाल द्वारा निष्पादित करवायी गई है। राजीनामा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर है तथा भोमसिंह/भैरुसिंह पूर्व सरपंच कोलू पाबूजी की साख मौजूद है। केवलराम द्वारा शपथ-पत्र एवं घोषणा पत्र निष्पादित कर राजीनामा को स्वीकार एवं अंगीकार किया जाना पाया जाता है। उक्त रजिस्ट्री के जरिये राणाराम, माधाराम एवं भंवरलाल द्वारा क्रमश खसरा नं. 548, 548/1 एवं 548/5 में सें क्रमशः रकबा 03 बिस्वा, 02 बिस्वा एवं 02 बिस्वा भूमि केवलराम के पक्ष में बेचान की है। वादीगण के पिता केवलराम द्वारा अपने जीवनकाल में राजीनामा बाबत किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज नहीं जाना नहीं पाया जाता है।

राजीनामा, शपथ-पत्र एवं घोषणा-पत्र की प्रतियॉ विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से प्रथमदृष्टया पाया जाता है कि वादीगण द्वारा तथ्य छुपाकर वाद पेश किया गया है तथा राजीनामा के तथ्यों को छुपाया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थानांतरित प्रकरण में अपीलांट्स को पुनः सम्मन जारी किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के

13.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परितस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 मार्च 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 652/2020 अनवान स्वरूपाराम व अन्य बनाम राणाराम इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.10.2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.9.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर